मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3689
16.03.2026 को उत्तर के लिए

प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के अंतर्गत अर्थदंड

3689. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्रदूषण नियंत्रण समिति में तैनात निरीक्षकों की कुल संख्या कितनी है और अब तक किए गए औचक निरीक्षणों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त संघ राज्य क्षेत्रों में कोई विशेष पर्यावरण टास्क फोर्स गठित की गई है और अब तक कितनी राशि का पर्यावरणीय मुआवजा वसूल किया गया है;

(ग) ऐसी कितनी फार्मा कंपनियों को बिना वास्तविक निरीक्षण के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और निर्धारित मानकों से अधिक हानिकारक रसायनों का उत्सर्जन करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जिम्मेदार कंपनियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में मानकों और मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के अंतर्गत जिम्मेदार कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास एक स्वतंत्र पर्यावरण निगरानी प्राधिकरण स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में स्थित उद्योगों में पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 11 तकनीकी अधिकारियों की एक टीम तैनात की है। वर्ष 2024-25 में डीएनच क्षेत्र में कुल 196 औचक निरीक्षण किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न उद्योगों पर ₹27,54,500/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया है।

सभी उद्योगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति प्राप्त करें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करती हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 6 अगस्त 2021 की अधिसूचना संख्या सा.स.नि. 541(अ) के माध्यम से औषधि संबन्धित उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में सभी उद्योगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपशिष्ट जल का पर्याप्त उपचार सुनिश्चित करें तथा उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और/अथवा पुनर्चक्रण अपने परिसर के भीतर ही करें। किसी भी नदी में अपशिष्ट जल का निर्वहन या उत्सर्जन सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

देशभर में औद्योगिक इकाइयों की निगरानी मुख्य रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है, जो क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। अनुपालन को सुदृढ़ बनाने और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल एवं वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों /प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों का निरीक्षण क्रमशः प्रत्येक 6 महीने, 1 वर्ष और 2 वर्ष की न्यूनतम आवृत्ति पर करें, ताकि पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन का सत्यापन किया जा सके। इसके अलावा, सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन/उपचार सुविधाएँ जैसे एसटीपी, सीईटीपी, सीबीएमडब्लूटीएफ आदि तथा अधिक प्रदूषण क्षमता वाली 17 श्रेणियों के उद्योगों का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इन 17 श्रेणियों के उद्योगों और सामान्य अपशिष्ट उपचार सुविधाओं का औचक निरीक्षण एवं निगरानी करता है, जिन्हें ओसीईएमएस (ऑनलाइन संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से उत्पन्न एसएमएस अलर्ट के आधार पर यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाता है।
